संख्या: 131 / कार्मिक-2 /2002

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन ।

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग- 2 देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2002

विषय: सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।

महोदय,

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा 03 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं :-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 02 वरिष्ठ अधिकारी- सदस्य

(ख) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं :-

(अ) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में -

(1) प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अध्यक्ष

§2§ विभागाध्यक्ष-	सदस्य
§3§ मुख्य सचिव -	सदस्य

§ख§ विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में :-

§1§ मुख्य सचिव-	अध्यक्ष
§2§ प्रशासकीय विभाग के सचिव	सदस्य
§3§ सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

§ग §उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस §कार्यकारी शाखा§ के अधिकारियों §स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित§ के सम्बन्ध में :-

§1§ मुख्य सचिव	अध्यक्ष
§2§ मुख्य राजस्व आयुक्त	सदस्य
§3§ सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

नोट:- §1§ उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस §कार्यकारी शाखा§ के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी ।

§2§ यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर अपर सचिव प्रभारी अधिकारी है, तो अपर सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे ।

4. <u>उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा-</u> आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्वविवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा-निवृत्ति आदेश पारित करेंगे । यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं, तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पारित किये जायेंगे ।

5. विचारणीय अभिलेख- अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिए यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता/ सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए ।

6. कार्यवाही की समय-सारिणी-

(1) स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा । वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, उनके विषय में सूचना सामग्री जहाँ से भी आती हो, समय से प्राप्त हो जाये ।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(3) यथासम्भव प्रतिवर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये ।

(4) स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा- आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाये । नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें ।

7. स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति -

स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा । वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिए कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं, जिनके मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें ।

8. मूल नियम 56 के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जायें।

9. कार्मिक विभाग को सूचनायें देना-

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग-2 को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायी जाये (प्रतिलिपि संलग्न)

10. अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये ।

भवदीय,

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव

अनिवार्य सेवानिवृत्ति [illegible] स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

वर्ष 200 -20

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग [illegible] समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे गये	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से असहमत होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष—							
2	पी० सी० एस० संवर्ग—							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी—							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी—							
3	पी० सी० एस० संवर्ग के भिन्न अधिकारी—							
	(क) श्रेणी "क" ...							
	(ख) श्रेणी "ख" ...							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
	योग							

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (**)————————इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायं।

नियुक्ति प्राधिकारी के

हस्ताक्षर तथा पद नाम

(*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय।

(**) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)————————————(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक————————के क्रम में (**)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तथा पद नाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (**)————————————आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (**)————————इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तथा पद नाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

2

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के प्रालेख जिसके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हेन्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*)——————————इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हेण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये यथावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)——————————(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस, दिनांक——————————के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

नोटिस की पूरी अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हेण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये यथावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री (*)——————————इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होना है।

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
   उत्तरांचल शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल ।

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 15 जून, 2002

विषय: सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 131/का-2/2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के खण्ड "ख" के उपखण्ड- "अ" के बिन्दु-3 में "मुख्य सचिव" अंकित है, के स्थान पर "मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी" पढ़ा जाये ।

2. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।